

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08042022-234995 CG-DL-E-08042022-234995

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 274] No. 274] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 8, 2022/चैत्र 18, 1944 NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 8, 2022/CHAITRA 18, 1944

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 2022

सा.का.नि. 288(अ).—केंद्रीय सरकार विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 55 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विशेष आर्थिक जोन (संशोधन) नियम, 2022 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) के नियम 41 में, उप नियम (1) में, खंड (क) में, दूसरे परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थातः-

"परंतु रत्न और आभूषण इकाई के मामले में, अर्ध-तैयार माल, कीमती धातु और कोई अन्य कच्चा माल (हीरे या कीमती और अर्ध-कीमती पत्थरों या प्रयोगशाला निर्मित हीरे को छोड़कर) को जड़ाऊ कार्य के उप-संविदा के लिए विशेष आर्थिक जोन से यूनिट द्वारा बाहर ले जाया गया हो को पैंतालीस दिनों के भीतर यूनिट में वापस ले आना होगा;"।

3. उक्त नियमों के नियम 42 में, उप नियम (1) में, खंड (ii) में, उप खंड (ज) में, दूसरे परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थातः-

"परंतु रत्न और आभूषण इकाई के मामले में, अर्ध-तैयार माल, कीमती धातु और कोई अन्य कच्चा माल (हीरे या कीमती और अर्ध-कीमती पत्थरों या प्रयोगशाला निर्मित हीरे को छोड़कर) को जड़ाऊ कार्य के उप-संविदा के लिए विशेष आर्थिक जोन से यूनिट द्वारा बाहर ले जाया गया हो को पैंतालीस दिनों के भीतर यूनिट में वापस ले आना होगा;"।

[फा. सं. सी. 2/1/2018-एसईजेड (भाग)]

विपुल बंसल, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्यांक सा.का.िन. 54 (अ), तारीख 10 फरवरी, 2006 में प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना संख्यांक सा.का.िन. 424 (अ), तारीख 21 जून, 2021 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th April, 2022

G.S.R. 288(E).— In exercise of the powers conferred by section 55 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Special Economic Zones Rules, 2006, namely:-

- 1. (1) These rules may be called the Special Economic Zones (Amendment) Rules, 2022.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Special Economic Zones Rules, 2006 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 41, in sub-rule (1), in clause (a), for the second proviso, the following proviso shall be substituted, namely:-

"Provided further that in case of gems and jewellery unit, the semi-finished goods, precious metals and any other raw material (excluding diamonds or precious and semi-precious stones or lab grown diamonds) taken outside the Special Economic Zone for sub-contracting of studding by the unit shall be brought back into the unit within forty-five days;".

3. In rule 42 of the said rules, in sub-rule (1), in clause (ii), in sub-clause (h), for the second proviso, the following proviso shall be substituted, namely:-

"Provided further that in case of gems and jewellery unit, the semi-finished goods, precious metals and any other raw material (excluding diamonds or precious and semi-precious stones or lab grown diamonds) taken outside the Special Economic Zone for sub-contracting of studding by the unit shall be brought back into the unit within forty-five days;".

[F. No. C.2/1/2018-SEZ(Part)]

VIPUL BANSAL, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Subsection (i), *vide* notification number G.S.R. 54(E), dated the 10th February, 2006 and last amended *vide* notification number G.S.R. 424 (E), dated the 21st June, 2021.